

गुरुग्राम की 4 विधानसभाओं में बने 234 नए बूथ

जिला में मतदान केंद्रों के रेशनालाइजेशन की प्रक्रिया पूरी, डीसी ने आपत्तियां दर्ज कराने को कहा

- विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसलिए बढ़ाई गई बूथों की संख्या

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

जिला की चारों विधानसभा क्षेत्रों में 1400 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों के साथ कुल 234 नए सहायक बूथ बनाए गए हैं। जिला निर्वाचक अधिकारी एवं डीसी निःशांत कुमार यादव ने कहा कि मुख्य निवाचन अधिकारी हरियाणा के निदेशनुसार आपांत्य विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार का सामना ना करना पड़े, इसलिए बूथों की संख्या



गुरुग्राम स्थित लघु सचिवालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते डीसी निःशांत कुमार यादव।

संख्या बढ़ाई गई।

डीसी निःशांत कुमार यादव बूथगार को लघु सचिवालय में मान्य प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की निधनीरित नियमावली के तहत के साथ बैठक कर रहे थे। डीसी निःशांत कुमार यादव ने बैठक में निःशांत कुमार यादव को सहायक मतदान केंद्रों की जनकारी देते हुए बताया कि पटोटी विधानसभा प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान

रखा गया है कि वे मुख्य बूथ से दो किलोमीटर की जादा दूरी पर स्थित ना हो। साथ ही उक्त स्थान पर आयोग की निधनीरित नियमावली के तहत सभी आवश्यक मलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध रहे। उहोने विधानसभावार सहायक मतदान केंद्रों की जनकारी देते हुए बताया कि सहायक बूथ बनाने की प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान

गई है। उहोने कहा कि उपरोक्त पूरी प्रक्रिया में किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को कोई आपत्ति है तो संबंधित विधानसभा के एसडीएम के पास अपनी आपत्तियां व सुझाव दर्ज करा देते हैं।

डीसी ने कहा कि जिला में पुनरीक्षण अभियान के तहत 25 जुलाई से 9 अगस्त के मध्य मतदाता सूची के संशोधन तिले दावे व आपत्तियों आमंत्रित किए गए हैं। बैठक में डीसी ने सभी राजनीतिक दलों को आपांत्य और सुझाव को लेकर सप्ताह प्रत्यक्ष उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, ताकि प्राप्त आपत्ति, सुझाव पर जांच एवं नियावरण किया जा सके।

बैठक में बादशाहपुर के एसडीएम विश्वजीत चौधरी, सोहना के एसडीएम सोहन भट्ट, गुडगांव के एसडीएम रविंद्र नुमार, चुनाव विधानसभा में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 259, बादशाहपुर में 518, गुडगांव में 435 व सोहना में 292 हो देते हुए दिया गया।

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर करें कड़ी कार्रवाई : अतिरिक्त उपायुक्त

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. आनंद शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए बैठक से ब्लैक स्पॉट, जहाँ दुर्घटना होने का अदेश है, को पहचान करके उन बिंदुओं को ठीक कराने का कार्य जल्द से जल्द पूरा करें। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ आनंद शर्मा ने बुधवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

अतिरिक्त उपायुक्त ने एंडेंज में शामिल 25 विधायियों पर क्रमबार विस्तारपूर्वक चर्चा करके फैटिवेक ली और संबंधित अधिकारियों को समस्या नियावरण के निर्देश दिए।

अतिरिक्त उपायुक्त डॉ आनंद शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा हम सबसे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा है। सभी संबंधित विधायियों पर जांच एवं तहसीलदार राजनेंद्र सिंह, संत लाल द्वारा दिया गया दोषीजनक रिपोर्ट से कार्यकारी होता है। जिला में जहाँ भी दुर्घटना सुनिश्चित की जाये से बचा जा सके। इन दोषीजनक रिपोर्टों के लिए जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि मादक व नर्सीले विधायियों का सेवन करना बातक है। उन्होने विधायियों को मादक पदार्थों के सेवन करने के द्वारा भाव द्वारा दिया गया दोषीजनक रिपोर्ट से कार्यकारी होता है।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी।

उहोने कहा कि बादशाहपुर के एसडीएम रविंद्र नुमार ने जांच की जाएगी

आर्थिक सर्वेक्षण

उम्मीद से भरपूर

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 भारत की प्रगति व विकास के प्रति उम्मीदों से भरपूर है। हालांकि, केन्द्रीय बजट के एक दिन पहले पेश सर्वेक्षण में चिन्ताजनक क्षेत्रों की ओर संकेत करते हुए केन्द्र सरकार से इनमें प्राथमिकता से काम करने का अनुरोध किया गया है। बजट के पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने की परंपरा है क्योंकि चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देख कर इससे बजट का माहौल बनता है। इस वर्ष अच्छी आर्थिक वृद्धि हुई है। इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के 6.5-7.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण एक समग्र रिपोर्ट है जिसने पिछले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों की समीक्षा कर विभिन्न क्षेत्रों में तेज वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। इस आशावाद के अनेक आयाम हैं जिनमें मजबूत घेरेलू उपभोग, बढ़ता निवेश तथा लाभदायक सरकारी नीतियां सामिल हैं। मजेदार बात है कि ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थायें जीडीपी का इससे काफी निचला स्तर प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सर्वेक्षण ने ढांचागत विकास पर सरकार की सक्रियता को रेखांकित किया है जो आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण संचालक है। सड़क, रेल और बंदरगाह विकास की वर्तमान समय में जारी परियोजनाओं से कनेक्टिविटी और क्षमता में वृद्धि होगी तथा सहज व्यापार एवं बाणिज्य में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास आर्थिक वृद्धि का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आलोचनाओं के बावजूद सर्वेक्षण का मानना है कि 'मेक इन इंडिया' पहल के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं।



वृद्धि सुनानश्चत करन क लिए और सुधारों का सुझाव दिया है। तकनीकों में खोज तथा बाजारों तक बेहतर पहुंच ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरी है। आर्थिक सर्वेक्षण ने उचित ही विभिन्न आयामों का मूल्यांकन किया है जो अर्थव्यवस्था को नीचे धकेल सकते हैं तथा राष्ट्रीय वृद्धि में बाधा बन सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें सबसे बड़ी बाधा मुद्रास्फीति है। सर्वेक्षण ने सुझाव दिया है कि मौद्रिक नीति के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाने हुए, बिना वृद्धि को प्रभावित किए मुद्रास्फीति पर लगाम लगाई जा सकती है। बेरोजगारी एक और बाधा है जिसे प्राथमिकता से संबोधित किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण ने ऐसी नीतियों का समर्थन किया है जो कौशल विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहन दें तथा आर्थिक विकास के उपयुक्त परिवेश का निर्माण करें ताकि बढ़ती हुई युवा जनसंख्या की क्षमताओं का लाभ उठाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के उपयुक्त परिवेश बनाने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पुनः दुहराई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में आर्थिक सर्वेक्षण के अनेक सुझावों को शामिल किया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का रोडमैप पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने नौ प्राथमिकतायें परिभाषित की हैं। इनमें कृषि, रोजगार, मानव विकास, ऊर्जा सुरक्षा, विनिर्माण, खोज, ढांचागत संरचना तथा अगली पीढ़ी के सुधार शामिल हैं। इनसे बेरोजगारी घटाने, मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने तथा अर्थव्यवस्था को समावेशी व टिकाऊ बनाने में सहायता मिलेगी।

एमएसएमई हेतु आयकर संशोधन

छोटे उद्यमों के समक्ष बड़े उद्यमों द्वारा विलंबित भुगतान बड़ी समस्या है। इसके कारण कार्यकारी पूँजी में आने वाली कमी से उत्पादन प्रभावित होता है।



वित्त कानून, 2023 के अंतर्गत
आयकर कानून में
संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी हो
गया है। इसमें वस्तुओं व सेवाओं के लिए
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों-
एमएसएमई को 45 दिन से अधिक
भुगतान के विलंब तथा कर छूट की मांग
करने पर रोक लगाई गई है। एमएसएमई
सहायक इकाइयां हैं जो बड़े उद्यमों या
प्रमुख इकाइयों को वस्तुओं और
अधिकांशतः सहायक वस्तुओं का
उत्पादन, विनिर्माण और प्रसंस्करण में
सहायता करती हैं। ये इकाइयां छोटे पैमाने
पर काम करती हैं और इनको सूक्ष्म, लघु
एवं मझोले उद्यमों के रूप में पन:

परिभाषित किया जाता है जो उनके 'निवेश' और 'टर्नओवर' से तय होता है। इसे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम विकास कानून, 2006 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

सूक्ष्म उद्यम का अर्थ ऐसा उद्यम है जहां प्लांट और मशीनरी या उपकरणों में निवेश 10 मिलियन रुपये से अधिक न हो तथा उनका टर्नओवर 50 मिलियन रुपये से अधिक न हो। लघु उद्यम में प्लांट और मशीनरी में निवेश 100 मिलियन रुपये से कम होना चाहिए तथा टर्नओवर 500 मिलियन से अधिक न हो। मझोले उद्यम के लिए यह सीमा निवेश हेतु 200 मिलियन तथा टर्नओवर 1000 मिलियन परिभाषित है। साखियकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार सकल मूल्य संवर्धन-जीवीए में एमएसएमई का हिस्सा भारत के सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत है। अखिल भारतीय विनिर्माण में विनिर्माण एमएसएमई का हिस्सा और अधिक लगभग 36 प्रतिशत है।

कामर्शयिल इंटेलीजेंस एंड स्टेटिस्टिक्स महानिदेशालय-डीजीसीआईएस के अनुसार, अखिल भारतीय नियांतों में एमएसएमई-विशिष्ट उत्पादों के नियांत का हिस्सा पिछले दो वर्ष में 44 से 50 प्रतिशत के बीच रहा है। जहां तक रोजगार का सवाल है, मैक्विकन्से ग्लोबल

यूट-एमजीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में एमएसएमई का योगदान 52 प्रतिशत है। 'अनौपचारिक एमएसएमई' के अलावा पारिवारिक व साझेदारी वाले उद्यम शामिल हैं। रोजगार में योगदान 75 प्रतिशत है, जबकि जीडीपी में इनवेस्टलगभग 50 प्रतिशत है। इस प्रकार एमई अर्थव्यवस्था की संभावनाएँ बढ़ाते करने में महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इसके साथ ही ये 'सामवेशी' रूप में अपनी भूमिका अदा करते हुए रोजगार बढ़ाने, आय बढ़ाने और समानता घटाने का काम करती हैं। बाबूजूद मोदी सरकार के पहले चार वर्षों में उन पर आर्थिक निर्णयों वाला दण्डा है।

2016 में नोटबंदी, 2017 में वस्त्र वाकर-जीएसटी लागू करना तथा 2018 में कोरोनावायरस वैशिक महामारी विनाशकारी प्रभाव शामिल हैं। ने इनकी समस्यायें दूर करने वाले अनेक प्रयास किए हैं जिनमें 200 करोड़ रुपये की बिजनेसों के लिए आपातकालीन क्रयोजना-ईसीएलजीएस तथा एमई सेल्फ-रिलायंट इंडिया फंड यम से 50,000 करोड़ रुपये वाली योगदान शामिल है जिससे उनका नियमिती ठेके लेने में सहायता मिली है।

इसके अलावा एमएसएमई के वर्गीकरण में रियायतें, गैर-टैक्स लाभों का 3 साल तक विस्तार, खुदरा एवं थोक व्यापारों को एमएसएमई में शामिल करना, उद्यम सहायता प्लेटफार्म-यूएपी शुरू करना, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र कर्ज योजना-पीएसएल के अंतर्गत लाभ दिलाना, ई-गवर्नेंस के विभिन्न आयामों को शामिल करने वाले आनलाइन पोर्टल 'चैम्पिन्स' को शुरू करना तथा एमएसएमई की शिकायत निवारण व सहायता की व्यवस्थायें शामिल हैं। इन सारी पहलों का उद्देश्य कर्ज की उपलब्धता, तकनीक के समावेशन, बाजार सहायता, आदि प्रदान करना है, पर इन उद्यमों के समक्ष बड़े उद्यमों द्वारा बकाया देर में भुगतान करने की समस्या बनी हुई है। सप्लाई की गई वस्तुओं का भुगतान न मिलने पर उनके पास कार्यकारी पूँजी की भारी कमी हो जाती है जिससे 'उत्पादन जारी रखने की क्षमता' पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

इस समस्या के समाधान के लिए एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, 2006 की धारा 15 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को लिखित अनुबंध की स्थिति में 45 दिन में भुगतान करना जरूरी है, जबकि लिखित अनुबंध न होने की स्थिति में यह अवधि 15 दिन निर्धारित की गई है। 2019 में कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने विशेष

कंपनी आदेश जारी कर कहा था कि बड़ी फर्मों को हर 6 महीने में रिटर्न फाइल करना होगा, भले ही एमएसएमई को 45 दिन की सीमा में कोई भुगतान बकाया न हो। लेकिन इसके बावजूद समस्या बनी हुई है और अनेक फर्मों को बंद करना पड़ा है। इसके बाद केन्द्र सरकार ने आईटी एक्ट, 1961 के अंतर्गत समाधान खोजने का प्रयास किया। वित्त कानून, 2023 ने आईटी एक्ट, 1961 में नई धारा 43बीएच जोड़ी।

इसके अनुसार यदि बड़ी कंपनी लिखित अनुबंधों की स्थिति में 45 दिन में एमएसएमई को भुगतान नहीं करती है तो इस खर्च को उसके वित्त वर्ष की कर योग्य आय में काटा नहीं जा सकता है। एमएसएमई से खरीदी वस्तुओं का भुगतान खर्च का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए इसे राजस्व से काटा जा सकता है। यदि कोई बड़ी फर्म एमएसएमई को 45 दिन की निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करती है तो धारा 43बीएच के अनुसार वह इस धनराशि को कर योग्य आय से काट नहीं सकती है। इससे उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यह एक बड़े प्रतिरोधक का काम करता है जिससे बड़े उद्यमों द्वारा एमएसएमई का भुगतान रोकना संभव नहीं होगा। लेकिन इस अतिरिक्त कर का कंपनी की बैलेंसशीट पर प्रभाव हमेशा के लिए नहीं

पढ़ता है। इस अतिरिक्त कर को अगले साल एडजस्ट किया जा सकता है जब कंपनी एमएसएमई को भुगतान करे।

इस प्रकार यह धारा सभी पक्षों के बीच अच्छा संतुलन बनाने का प्रयास करती है। इससे बड़े उद्यमों को एमएसएमई के भुगतान को प्राथमिकता देने के साथ ही उनके वित्तीय स्वास्थ्य व आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करती है, लेकिन इसके साथ ही वह बड़े उद्यमों को अनावश्यक दंड नहीं देती है। लेकिन इस बीच कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 2019 के आदेश में रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में राहत दी दी है। 15 जुलाई, 2024 को जारी एक आदेश के अनुसार इसकी आवश्यकता केवल उन कंपनियों को है जिन्होंने किसी एमएसएमई को अनिवार्य 45 दिन के भीतर भुगतान न किया हो। इसका निर्धारण वस्तुओं या सेवाओं को स्वीकार करने की तिथि के आधार पर होगा। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, 2006 की धारा 9 के अनुसार उस बड़े उद्यम को यह सूचना देनी होगी जिसने एमएसएमई से वस्तु एवं सेवा प्राप्त की है और उसे निर्धारित 45 दिन में भुगतान नहीं किया है।

लाकन यह आदश जारा हान क पहल बड़े उद्यमों को यह सूचना उस स्थिति में भी देनी होती थी, जब एमएसएमई को कोई भुगतान निर्धारित 45 दिन की अवधि में बाकी न हो। इससे बड़े उद्यमों को कानून के क्रियान्वयन से थोड़ी राहत मिली है और उन पर एमएसएमई भुगतान का दबाव घटा है। लेकिन इसके बावजूद उद्योगों और बिजनसों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया है कि आईटी एक्ट में संशोधित इस धारा का क्रियान्वयन एक साल यानी अप्रैल, 2025 तक टाल दिया जाए।

इसके साथ ही ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बड़े उद्यम छोटी फर्मों पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि वे एमएसएमई से कोई स्पलाई न लें। इसके बजाय वे केवल ऐसी एमएसएमई से व्यवहार करें जिनका पंजीकरण 'उद्यम पोर्टल' पर न हो या वे गैर-एमएसएमई से सामान खरीदें। 'उद्यम पोर्टल' केन्द्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई पंजीकरण के लिए बनाया गया है। बड़े उद्यमों के इन अनुरोधों को अस्वीकार कर सरकार को आईटी एक्ट की धारा 43बीएच को स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करने देना चाहिए।

भारत में अरितत्वमान तीन नये कानून

(आईपासा), दड प्राक्रिया साहू (सीआरपीसी) और भारतीय साक्षर अधिनियम (आईईए) के कानूनों व जगह ले ली है। नए कानून आधुनिक न्याय प्रणाली लाएंगे, जिसमें जी एफआईआर, पुलिस शिकायतों व ऑनलाइन पंजीकरण, एसएमएस जै इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से समन और समन जबन्य अपराधों के लिए अपराध स्थित की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावध शामिल होंगे। करीब 20 नए अपराध जो गए, 40 अपराधों में संशोधन किया गय 83 नए जुर्माने लगाए गए और व्यापारियों के लिए न कानून जनहित में त्वरित न्याय देने के लिए तैयार हैं।

ता अनुकूलन के लिए एक जाटल तत्र ह। स्व इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति की प्रोफेसर महेश वर्मा कहते हैं, परिवर्तन क कहते हैं, और प्रगतिशील कानून अपरिहार्य है, और किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छे हैं। का से उपलिस को यह समझने की जरूरत है भी तो न तो न कि वे अधिकार क्षेत्र की कमी या विवादित अधिकार क्षेत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकते। उनके लिए इसे व्यवहार में लाना कठिन है क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में दर्ज मामलों की संख्या उनके संबंधित पुलिस स्टेशन की बदनामी लाएगी। अब वे कानूनी रूप से (शून्य एफआईआर) दर्ज करने और ऐसे मामले को संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य हैं। बीएनएसएस की धारा 37 के अनुसार प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप-निरीक्षक के पद से नीचे नहीं है, को गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में जानकारी बनाए रखने और प्रमुखता से प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। दिल्ली

न्यायमूल एम एल महता कहत है, कानून लोगों के कल्याण के लिए राज्य द्वारा अनुकरण किए जाने वाले मानदंडों का एक समूह है। कानून कानूनी व्यवस्था के लिए प्रभावी उपाय है। कानूनी व्यवस्था में देरी अपरिहार्य तंत्र है। केवल 20 प्रतिशत मामले ही अदालत तक पहुँचते हैं, पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। यह एक कठिन कार्य है और इन लंबित मामलों का निपटारा करने में 300 साल से अधिक का समय लगेगा। बीएनएसएस के अनुसार, नए कानून महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता देते हैं, सूचना दर्ज करने के दो महीने के भीतर समय पर पूरा करना सुनिश्चित करते हैं (धारा 193)। समन अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजे जा सकते हैं (धारा 64, 70, 71)। मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायालय अधिकतम दो स्थगन दे सकते हैं (धारा 346)।

नए कानून में सभी राज्य सरकारों को गवाह संरक्षण योजना (धारा 398) लागू करने का आवेदन किया जाता है। अधिकारी-

बार बच्चा के खिलाफ अपराधा अध्ययन 5) और छोटे अपराधों के लिए नामुदायिक सेवा की शुरूआत (धारा 4, 02, 209, 226, 303, 355, 356) के लिए विशेष रूप से बीएनएस में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसके प्रभावी नार्यान्वयन के लिए, और पुलिस, जेल, अभियोजकों, न्यायिक, फोरेंसिक कमियों साथ-साथ आम जनता सहित सभी दृष्टधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, सरकार ने कई दौर के अधिविद्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम योजित किए हैं। नए शुरू किए गए तीन अपराधिक कानूनों के संबंध में कानूनी पाली को बेहतर ढंग से समझने के लिए विभिन्न स्तरों पर जागरूकता हो रही है। अष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने नए आपराधिक कानूनों साथ प्रौद्योगिकी अनुकूलता की सुविधा लिए मौजूदा सीसीटीएनएस (अपराध एनसीआरबी) और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और स्पस्टम) एप्लिकेशन में 23 कार्यात्मक अंशोधन किए हैं, जिसमें एफआईआर दर्ज करने की सुविधा भी शामिल है। एप्लिकेशन अपराधिक कानूनों के लिए अच्छी है, यह एक बड़ा उत्तर है।

राहत देने वाला बजट

रोजगारोन्मुख बजट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीसरी सरकार का पहला बजट 03 राहत देने और सबको साधने वाला है। इसमें युवाओं को रोजगार देने पर अत्यधिक जोर दिया गया जो कि आवश्यक था। महिलाओं के कल्याण के लिए बड़ी रकम का प्रावधान किया गया है। महिला कर्मचारियों के लिए भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। लेकिन खटकने वाली बात यह है कि शिक्षा क्षेत्र में बढ़ोत्तरी के बजाय उल्टे सात प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। यह फैसला उचित नहीं लगता है। इसी प्रकार रक्षा क्षेत्र को भी और अधिक धन दिया जाना था क्योंकि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय युद्धग्रस्त परिस्थितियों और चीन पाकिस्तान के नापाक झगड़ों के चलते रक्षा क्षेत्र में और अधिक सुधार कर सेनाओं को अत्यधिनिक तकनीक से लेस करना अब अत्यधिक जरूरी हो गया है। चांदी सोने की ड्यूटी में कटौती करने की कोई तुक नजर नहीं आई और शेयर बाजार में करों का बोझ बढ़ाना भी उचित नहीं है। इससे निवेशक अपना निवेश शेयर बाजार से निकलकर चांदी-सोने में करों जो आधिक विकास की गतिशीलता को धीमा करेगा। अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश और बिहार को ज्यादा बजट देना भी ठीक नहीं लगता है। लेकिन कुल मिला कर बजट आम जनता को राहत देने वाला होगा। सरकार के इस कदम से उम्मीद बढ़ी है।

- विभूत बुपक्ष्या, खाचराद

आप की बात

इंटर्नशिप का स्वागत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार रोजगार उन्मुख बजट पेश किया है जो कि देश की युवा शक्ति के लिए अत्यावश्यक था। रोजगारों के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था एक अच्छा कदम है। लेकिन पहली बार नौकरी करने वालों को एक माह की पगार देना समझ से परे है। जिनकी नौकरी लग ही गई है, उन्हें एक माह की मुफ्त पगार देने के बजाए युवकों को नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए धन खर्च किया जाना चाहिए था। कृषि को भी महत्व दिया गया है। देश की बढ़ती खाद्य जरूरतों को देखते हुए जनेटिक फसलों पर अधिक शोध कर और उन्हें मानव स्वास्थ्य के अनुकूल बनाकर उनका बढ़े पैमाने पर उत्पादन जरूरी है। इससे दालों व खाद्य तेल के आयात पर लगाम लग सकती है। नौकरी व पेशेवर वर्ग को कर्मों में जो राहत दी गई, वही राहत मध्य मार्गों के व्यापारियों को भी मिलनी चाहिए थी। कर मुक्त टैक्स स्ट्रैब को भी बढ़ाया जाना था। शेयर का काम करने वालों के लिए पहले से ही लागू भारी टैक्स को और भारी बनाना शेयर होल्डर्स को निराश करेगा। सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त चिकित्सा और कारों में विशेष राहत भी दी जानी चाहिए थी। 70 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को आयुष्मान भारत के दायरे में लाना चाहिए।

- सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट को विपक्षी दलों ने कुर्सी बचाओ बजट बताया है। बजट का सबसे खूबसूरत पहलू युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास है। बजट में की गई पांच वर्ष में एक करोड़ इंटर्नशिप एवं छात्रों के लिए 10 लाख रुपए शिक्षा लोन की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। बजट का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू बिहार को 56 हजार करोड़ की और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की परियोजनायें हैं। लेकिन देखना होगा कि कहाँ यह धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। बिहार में थोड़े ही समय में अनेक पुलों के गिरने की खबरें सुखियों में रही हैं जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुके हैं। इस बजट में विष्णुपुद मदिर एवं बौद्ध गया हैरिटेज कॉरिडोर निर्माण का प्रस्ताव एक अच्छा कदम है। इन महत्वपूर्ण स्थलों के विकास से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक बिहार में बड़ी संख्या में आएंगे। इससे बिहार समृद्ध होगा, विदेशी मुद्रा अर्जित होगी और भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा बजट व अपने राज्यों के लिए आवंटन पर खुशी जाहिर करने से उन मोदी-विरोधी विपक्षियों की उम्मीदें टूट गई हैं जो सरकार गिरने का राग अलाप रहे थे।

- वीरेंद्र कमार जाटव, दिल्ली

सोना-चांदी सरता

वित्तमंत्री निर्भला सीतारमण ने देश का बजट पेश करते हुए सारी महिलाओं की प्रमुख चाहत पूरा करने के लिए साने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 प्रतिशत कर दी है। इससे अनेक महिलाओं को खुशी मिली है क्योंकि आभूषणों के प्रति उनका आकर्षण सभी जानते हैं। इससे जहां छोटे-बड़े सर्राफा कारीगरीं को लाभ होगा, वहीं समाज के निम्न मध्य वर्ग व गरीब तबके को भी लाभ होगा जो शादी-विवाह या अन्य मंगल अवसरों पर घर की महिलाओं को कोई न कोई आभूषण देना चाहते थे। सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने से इसकी स्मगलिंग पर भी लगाम लगेगी तथा अमीर भारतीयों को विदेशों से सोना खरीद कर लाने का रास्ता खुलेगा। मध्यम वर्ग व सर्विस क्लास को खुश करने के लिए आयकर में राहत दी गई जिससे उन्हें 17,500 रुपये तक का लाभ हो सकेगा। निर्मला सीतारमण ने आठ महीने तक लागू होने वाले बजट में काफी नरसी दिखाई है। इस बजट से लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी सुविधाएं बढ़ेंगी व देश भी प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। उम्मीद करनी चाहिए कि आगे आने वाले बजट जनता को और राहत देंगे।

- **शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर**

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भेज सकते हैं।

